

26.11.24

पत्रावली पेश हुई। धार्मिक अधिकतम अनुपस्थिति प्रकलन का मुलबाद खाजि हो चुका है। जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः धार्मिक पत्र इसी स्तर पर भाडेम व नियम 8 के तहत अदम हाजरी-अदम पेयवी में खाजि किया जाता है। निर्णय ले इजलास लुताया गया। प्रकलन फौजलशुमार होकर नम्बर से कम है।

(रियासिनी)
RMS